कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर – 342001

email jdajodhpur@yahoo.com वेब–साईट jodhpurjda.org Phone No 0291-2612086/2656355-7 Fax 021-2612086

क्रमांक / बैठक / 2019 / 1027 दिनांक :: 23 अक्टूबर, 2019

बैठक कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक श्री मेघराजसिंह रतनू आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर एवं अध्यक्ष, कार्यकारी समिति की अध्यक्षता में उनके कक्ष में दिनांक 18 अक्टूबर, 2019 को प्रातः 11.30 बजे आयोजित की गयी। बैठक में उपस्थित सदस्य / अधिकारियों का विवरण परिशिष्ट–1 पर उपलब्ध है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गये:–

प्रस्ताव संख्या 1 :: गत बैठक दिनांक 3 सितम्बर, 2019 में लिये गये निर्णयों की पुष्टि

गत बैठक दिनांक 3 सितम्बर, 2019 का कार्यवाही विवरण जारी किया जाकर सभी सदस्यों को प्रेषित किया जा चुका है। अतः कार्यवाही समिति की बैठक दिनांक 3 सितम्बर, 2019 का कार्यवाही विवरण पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से गत कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 3 सितम्बर, 2019 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 2 :: श्री जेठाराम लोहिया को लॉटरी द्वारा भूखण्ड सं. 294 सेक्टर 1 कॉर्नर रामराज नगर के एवज में अन्य भूखण्ड आवंटन बाबत्।

क.सं.	विषय	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा / प्रस्ताव
1	श्री जेठाराम लोहिया को लॉटरी द्वारा भूखण्ड सं. 294 सेक्टर 1 कॉर्नर रामराज नगर के एवज में अन्य भूखण्ड आवंटन बाबत्।	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज / टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	प्रार्थी श्री जेठाराम लोहिया को भूखण्ड संख्या 294 सेक्टर 1 रामराज नगर कॉर्नर भूखण्ड लॉटरी से आवंटन हुआ था। उक्त भूखण्ड अतिक्रमण होने से प्रार्थी द्वारा इसी योजना में कॉर्नर भूखण्ड आवंटन करने की मांग की है। प्रार्थी द्वारा भूखण्ड सं 142 सेक्टर 1 कॉर्नर भूखण्ड आवंटन करने की सहमति प्रस्तुत की है जिसकी सडक की चौडाई

			दोनो तरफ 40 फीट है। अतः आवंटन किया जाना प्रस्तावित है।

प्रार्थी को रामराज नगर योजना की लॉटरी में भूखण्ड संख्या 294 सेक्टर 1 कॉर्नर का आवंटन हुआ। भूखण्ड का क्षेत्रफल 454.76 वर्गमीटर है एवं सडक की चौडाई 40 फीट है।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आवंटित भूखण्ड की राशि जमा कराने पर समयावधि बढायी जावें क्योंकि उक्त भूखण्ड पर पक्का मकान बनाकर अतिक्रमण किया हुआ है जिस पे पानी बिजली का कनेक्शन भी लिया हुआ है। कनिष्ठ अभियंता की रिपोर्ट अनुसार 290 से 294 एवं 295 से 299 तक के भूखण्ड अतिक्रमण में तथा भूखण्ड सं. 294 सेक्टर 1 अतिक्रमण क्षेत्र में स्थित कच्ची बस्ती के क्षेत्र में है।

अतः प्रार्थी को लॉटरी द्वारा कॉर्नर भूखण्ड का आवंटन हुआ है। प्रार्थी को आवंटित भूखण्ड अतिक्रमण क्षेत्र में होने से प्रार्थी को अन्य भूखण्ड का प्रस्ताव दिया गया।

1 भूखण्ड सं. 369 सेक्टर 1, 475.92 वर्गमीटर 40 फीट रोड
2 भूखण्ड सं. 317 सेक्टर 1, 413.41 वर्गमीटर 160 फीट रोड
3 भूखण्ड सं. 331 सेक्टर 1, 413.41 वर्गमीटर 160 फीट रोड
4 भूखण्ड सं. 142 सेक्टर 1, 413.41 वर्गमीटर 40 फीट रोड

प्रार्थी द्वारा भूखण्ड सं. 317 सेक्टर 1 रामराज नगर का आवंटन करने हेतु सहमति दी गयी किन्तु उक्त भूखण्ड की सडक की चौडाई 160 फीट होने से आवंटन नही किया जा सकता। प्रार्थी द्वारा 40 फुट रोड पर स्थित भूखण्ड की सहमति प्रस्तुत करता है तो प्रकरण कार्यकारी समिति बैठक में रखा जाना संभावित है।

प्रार्थी द्वारा भूखण्ड सं. 142 सेक्टर 1 कॉर्नर रामराज नगर का आवंटन करने की सहमति प्रस्तुत की है जिसका माप 50x89 413.41 वर्गमीटर तथा सडक की चौडाई दोनो तरफ 40 फीट है तथा प्रार्थी को पूर्व में आवंटित भूखण्ड सं. 294 सेक्टर 1 कॉर्नर का माप 55x89 454.75 वर्गमीटर है तथा सडक की चौडाई दोनो तरफ 40 फीट है।

अतः प्रकरण ईसी बैठक में विचारार्थ एवं निर्णयार्थ हेतु रखा जाना प्रस्तावित है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्तावानुसार प्रार्थी श्री जेठाराम को भूखण्ड आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 3 :: प्राधिकरण में पदस्थापित अधिकारियो के लिए प्रतिमाह संविदा पर कार/जीप/बोलेरो एस.यु.वी की प्रशासनिक एंव वितिय स्वीकृती प्रकरण।

क्र. सं.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे के सम्बन्ध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे में अभिषशा/ प्रस्ताव
1.	प्राधिकरण में पदस्थापित अधिकारियों के लिये प्रतिमाह संविदा पर कार/जीप/ बोलेरो एस.यू. वी. की प्रशानिक एवं वितीय स्वीकृति प्रकरण।	कार्य की आवश्यकता को देखते हुए रूपये 130.30 प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है

ठ्ठ

प्राधिकरण में पदस्थापित अधिकारियो के लिये संविदा के आधार पर किराये के वाहन लेने हेतु वितीय वर्ष 2019–20 हेतु राशि रू 130.00 लाख कि प्रशासनिक एंव वितीय स्वीकृती कि आवश्यकता है। वितीय वर्ष 2019–20 में उक्त कार्य हेतु बजट मद 5001–04–003 में राशि रू 192.00 लाख का बजट प्रावधान है।

अतः कार्य हेतु वर्ष 2018–19 में राशि रू 13 लाख कि प्रशासनिक एंव वितीय स्वीकृती जारी कि गई थी तथा उक्त वार्षिक पर संविदा कि वैधता दिनांक 27.09.2019 है।

प्राधिकरण में प्रचलित शेडयुल ऑफ पावर II (माल एंव सेवाओ) के आईटम संख्या I अनुसार 25.00 लाख से अधिक माल एंव सेवाओ कि प्रशासनिक एंव वितीय स्वीकृती कार्यकारी समिती से अनुमोदन करवाने मे समय लगने कि संभावना के कारण आयुक्त जो.वि.प्रा. द्वारा पत्रावली के पैरा सं. 16 दिनांक 14.08.2019 द्वारा कार्यकारी समिती कि स्वीकृती कि प्रत्याशा में राशि रू 130.00 लाख कि प्रशासनिक एंव वितीय स्वीकृती कि गई है।

अतः उक्त प्रशासनिक एंव वितीय स्वीकृती राशि रू 130.00 लाख बजट मद 5001–04–003 मे आयुक्त महोदय द्वारा जारी प्रशासनिक एंव वितीय स्वीकृती को अनुमोदन किया जाना प्रस्तावित हैं अतः उक्त प्रस्ताव को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है ।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया। प्रभारी अधिकारी (पूल) ने अवगत करवाया कि कार्यकारी समिति के अनुमोदन की प्रत्याशा में दो नवीन वाहन क्रय करने हेतु राज्य सरकार को पत्र प्रेषित किया गया है। अतः बाद विचार विमर्श सर्वसम्मति से प्राधिकरण में एक नवीन इनोवा नवीन (अनुमानित कीमत रूपये 22.38 लाख) एवं एक नवीन स्कॉर्पियों वाहन (अनुमानित कीमत रूपये 18.65 लाख) राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त कर क्रय करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 4 :: राजस्व ग्राम भाकरासनी के खसरा संख्या 189 रकबा 2400 वर्गगज के वर्तमान भू उपयोग औद्योगिक से वाणिज्यिक (पेट्रोल पम्प) प्रयोजनार्थ हेतु भू–उपयोग परिवर्तन।

क्र.सं.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे के संबंध में अभिषशा /प्रस्ताव
1	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार एजेण्डा में किसी प्रकार का तथ्य छुपाया नही गया है।	जोधपुर मास्टर प्लान–2023 में आरक्षित वर्तमान भू–उपयोग आवासीय से शैक्षणिक प्रयोजनार्थ हेतु भू–उपयोग परिवर्तन हेतु अनुशंषा की जाती है।

एजेण्डा नोटः– ग्राम भाकरासनी के खसरा संख्या 189 रकबा 2400 वर्गगज भूमि का वर्तमान भू–उपयोग औद्योगिक प्रयोजन से वाणिज्यिक (पेट्रोल पम्प) प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन करने के संबंध में। (प्रकरण संख्या एफ.37/भूउप/26/2019 आवेदक नैनुराम विश्नोई पुत्र श्री कानाराम। निवासी– 9 ए, ईस्ट पटेल नगर, रातानाडा, जोधपुर।)

आवेदकगण द्वारा भू–उपयोग परिवर्तन के संबंध में आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित करने हेतु दो समाचार–पत्र यथा दैनिक नवज्योति के अंक दिनांक– 25.09.2019 एवं दैनिक भास्कर के अंक दिनांक– 25.09.2019 में आम सूचना का प्रकाशन किया गया। जिसके क्रम में किसी भी प्रकार की कोई आपति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।

सीनियर ड्राफ्ट मैन की रिपोर्ट अनुसार भूमि का वर्तमान भू उपयोग लैण्ड युज प्लान 2023 के अन्तर्गत औद्योगिक प्रयोजन के अन्तर्गत आरक्षित है, एवं जिसका मार्गाधिकार मास्टर प्लान के अन्तर्गत 200' फीट रखा गया है।

कनिष्ट अभियन्ता की मौका रिपोर्ट अनुसार भूमि मौके पर रिक्त है, एवं रोड़ डिवाइडर सेन्टर से दीवार (मौके की) दूरी 80' फीट है।

आवेदित भूमि आवाप्ति शाखा में विचाराधीन नहीं है, एवं इस संबंधित कोई वाद न्यायालय में लंबित नहीं है।

आवेदित भूमि औद्योगिक प्रयोजनार्थ से व्यवसायिक (पेट्रोल पम्प) प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन करने की अनुशंषा राज्य सरकार को की जा सकती है। राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक– 23.05.2018 में उल्लेखित प्रावधानुसार व्यवसायिक (पेट्रोल पम्प) प्रयोजनार्थ गतिविधियों को व्यापक जनहित माना गया है।

अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रकरण पुनः जाँच कर संपूर्ण तथ्यों के साथ आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 5 :: प्राधिकरण में कार्यालय उपयोग हेतु स्टेशनरी एंव इससे सम्बधित सामग्री कय करने का कार्य वार्षिक दर संविदा 2019–20 का अनुमोदन।

क्र सं	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे में अभिशंषा / प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणीयों के अनुसार कोई तथ्य छिपाया नही गया है।	कार्यकारी समिति की प्रत्याशा में कार्यादेश जारी करने की स्वीकृति के अनुमोदन का प्रस्ताव है।

प्राधिकरण में कार्यालय उपयोग हेतु स्टेशनरी एंव इससे सम्बधित सामग्री कय करने हेतु आमन्त्रित ई–निविदा दिनांक 22.08.2019 को खोली गई थी। उक्त कार्य में हेतु मैसर्स शान्ता प्रिन्टर्स एण्ड स्टेशनर्स एंव मैसर्स केन्द्रीय भण्डार द्वारा दी गई दर को कार्यकारी समिति से अनुमोदन की प्रत्यांशा में उपापन समिति OIC/DE/DF/Sec/JDC द्वारा स्वीकृत की गई एंव अतिंम स्वीकृति हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक में रखे जाने हेतु निर्देशित किया गया है। अतः प्रकरण कार्यकारी समिति से अनुमोदन करवाये जाने हेतु प्रस्तुत है।

(1) मैसर्स शांता प्रिन्टर्स एण्ड स्टेशनर्स की न्युनतम दरें जिनका अनुमोदन किया जाना है:–

S.No	Description of Work / Item(s)	Units	Rate inclusive of all taxes
1	कैलकुलेटर छोटी साईज (12 डिजीट) केसियो	प्रति नग	305.00
2	केलकुलेटर बड़ी साईज (12 डिजीट) केसियो	प्रति नग	910.00

3	बॉक्स फाईल लोढ़ा कंगारू क्लीप	प्रति नग	215.00
4	स्टाम्प पेड इंक (अशोका 30 एम एल)	प्रति नग	35.00
5	बडी साईज के लिफाफे ब्राउन कलर फाईल साईज के *16x12*	प्रति नग	9.90
6	सेलो टेप *(1") (65 Mtr.)*	प्रति नग	40.00
7	सेलो टेप *(3") (65 Mtr.)*	प्रति नग	60.00
8	सेलो टेप *(2") (65 Mtr.)*	प्रति नग	52.00
9	ब्राउन टेप *(2") (65 Mtr.)*	प्रति नग	52.00
10	फाईल पेड "6" लगोट व चारों तरफ कपड़ा पट्टी	प्रति नग	16.10
11	डाक पेड (सुपिरियर)	प्रति नग	70.00
12	पेपर कटर (बडी साईज)	प्रति नग	30.00
13	पोकर लकड़ी हैण्डल	प्रति नग	35.00
14	आवक–जावक पंजिका (400 पेज)	प्रति नग	130.00
15	स्केल 12 इंच स्टील	प्रति नग	34.00
16	उपस्थिति पंजिका बडी 120 पेज की	प्रति नग	190.00
17	रूल्ड रजिस्टर 70 *GSM 17x27/4* लेजर पेपर 96 पेज	प्रति नग	105.00
18	रूल्ड रजिस्टर 70 *GSM17x27/4* लेजर पेपर 144 पेज	प्रति नग	155.00
19	रूल्ड रजिस्टर 70 *GSM 17x27/4* लेजर पेपर 192 पेज	प्रति नग	185.00
20	रूल्ड रजिस्टर *17x27/4* लेजर पेपर 384पेज	प्रति नग	365.00
21	स्टेपलर मशीन नं. 10	प्रति नग	52.00
22	स्टेपलर मशीन नं. 24/6	प्रति नग	210.00
23	स्टेपलर पिन नं. 10	प्रति पैकेट	10.00
24	स्टेपलर पिन नं. 24/6	प्रति पैकेट	18.50
25	फाईल टैग 8"	प्रति पैकेट	260.00
26	फाईल कवर मय लेस कार्डशीट 31 *k.g,*. मुद्रण सहित	प्रति नग	19.85
27	फोटो कॉपी पेपर रीम ए4 साईज 80 *GSM*	प्रति रिम	269.00
28	फोटो कॉपी पेपर रीम *FS* साईज 80 *GSM*	प्रति रिम	308.00
29	स्लिप बुक छोटी मय मुद्रण *18x22/8*	प्रति नग	32.00
30	आलपिन पैकेट (बेलब्राण्ड–100 ग्राम)	प्रति पैकेट	32.00
31	वाईटनर पैन 7 एम.एल.	प्रति नग	28.50
32	रबड स्टाम्प	प्रति लाईन	25.00
33	एल फोल्डर्स सुपीरियर	प्रति नग	25.00
34	स्ट्रीप फाईल सुपीरियर	प्रति नग	25.00
35	प्लास्टिक यू पिन पैकेट	प्रति पैकेट	32.00
36	ड्राईवर लॉग बुक बड़ी	प्रति नग	145.00
37	प्लास्टिक क्लिप बोर्ड	प्रति नग	105.00
38	जेल पेन (एडेजेल एचीवर अथवा समकक्ष)	प्रति नग	58.00
39	स्टीक पेड *3x3*	प्रति नग	33.00

40	स्पाईरल स्लीप पेड मय कवर बहुरंगीय प्रिण्टिग तथा इनर पेज सिंगल कलर प्रिण्टिंग 100 पेपर की 18x22/4	प्रति नग	70.00
41	स्पाईरल डायरी मय कवर बहुरंगीय प्रिण्टिग तथा इनर पेज सिंगल कलर प्रिण्टिंग 50 पेपर की 18x22/4	प्रति नग	55.00
42	स्पाईरल स्लीप पेड मय कवर बहुरंगीय प्रिण्टिग तथा इनर पेज सिंगल कलर प्रिण्टिंग 100 पेपर की 18x22/8	प्रति नग	48.00
43	डस्ट बीन छोटी (बिना ढक्कन)	प्रति नग	135.00
44	डस्ट बीन बडी (बिना ढक्कन)	प्रति नग	235.00
45	डस्ट बीन 60 लीटर (ढक्कन वाली) सिनटेक्स अथवा समकक्ष	प्रति नग	890.00
46	पंचिग मशीन डीपी 600	प्रति नग	190.00
47	फाईल लेस (924 नं.)	प्रति सौ	99.00
48	टी पीन लम्बाई 1" (70 ग्राम पैकेट)	प्रति पैकेट	55.00
49	फेविस्टिक (15 ग्राम)	प्रति नग	46.00
50	पियोन बुक 96 पेज	प्रति नग	95.00
51	कलर फ्लेग 25x75 mm (1x3"x3)	प्रति पैकेट	33.00
52	लिफाफे खिडकी वाले सूर्या 100 नं (सफेद) 11x5	प्रति नग	2.15
53	प्लास्टिक फोल्डर (बटन)	प्रति नग	35.00
54	सेल्फ इंक रबड मोहर (सन स्टाम्प)	प्रति लाईन	425.00
55	अजन्ता वाल क्लाक (ओ.एल.सी.-105)	प्रति नग	1685.00
56	लिफाफे 16" x 12 " कपड़ा	प्रति नग	11.50
57	रंगीन टेप 2 इंच	प्रति नग	48.00
58	रंगीन टेप 3इंच	प्रति नग	50.00
59	CD मार्कर पेन	प्रति नग	14.00
60	नेम प्लेट (एम्बोज) गोल्डन अक्षर 24"x12"	प्रति नग	6400.00
61	नेम प्लेट डबल साईड 15"x5"	प्रति नग	1040.00
62	नेम प्लेट डबल साईड 6"x2"	प्रति नग	1400.00
63	पेन यूनिबाल	प्रति नग	59.00
64	पेन सेलो बटरफलो अथवा समकक्ष	प्रति नग	18.00
65	पंचिंग मशीन हैवी ड्यूटी डबल होल कंगारू 2320	प्रति नग	3500.00
66	पंचिंग मशीन हैवी ड्यूटी सिंगलहोल कंगारू 1320	प्रति नग	2390.00
67	परमानेण्ट मार्कर पेन	प्रति नग	19.00
68	लिफाफा 10x12 कपड़ा वाला	प्रति नग	9.00
69	स्टेपलर बडा 23 एस17	प्रति नग	1550.00
70	कंची मध्यम कंगारू	प्रति नग	150.00
71	कंची छोटी कंगारू	प्रति नग	130.00
72	रबड़ बेण्ड छोटे अच्छी क्वालिटी	प्रति पैकेट	540.00
73	मेजरमेट टेप 50 फिट	प्रति नग	480.00
74	पानी का केम्पर 20 लिटर	प्रति नग	2750.00

75	पानी का केम्पर 10 से 15 लिटर	प्रति नग	1180.00
76	पानी का जग	प्रति नग	72.00
77	शकर	प्रति किलो	68.00
78	दुध पाउडर(अमूल)	प्रति पैकेट	118.00
79	चाय पत्ती (गिरनार)	प्रति पैकेट	58.00
80	चाय पत्ती (ताज महल)	प्रति पैकेट	270.00
81	रबड़ बेण्ड बडे अच्छी क्वालिटी	प्रति पैकेट	540.00
82	USB Mouse	प्रति नग	440.00
83	Mouse pad	प्रति नग	55.00
84	Cartridge 15A	प्रति नग	9400.00
86	Cartridge 15 A Reffling	प्रति नग	825.00
87	Drum Cartridge 15 A	प्रति नग	825.00
88	Cartridge 3550	प्रति नग	10800.00
89	Cartridge 3550 Reffling	प्रति नग	825.00
90	Drum Cartridge3550	प्रति नग	825.00
91	Cartridge canon EP 22	प्रति नग	9900.00
92	Cartridge canon EP 22 Reffling	प्रति नग	825.00
93	DrumCartridge canon EP 22	प्रति नग	825.00
94	Cartridge 88 A	प्रति नग	8800.00
95	Cartridge 88 A Reffling	प्रति नग	825.00
96	Drum Cartridge 88 A	प्रति नग	825.00
97	Cartridge 80 A Reffling	प्रति नग	825.00
98	Drum Cartridge 80 A	प्रति नग	825.00
99	Cartridge 90 A Reffling	प्रति नग	825.00
100	Drum Cartridge 90 A	प्रति नग	825.00
101	Cartage 93 A Reffling	प्रति नग	2350.00
102	Cartridge HP Printer Color Laserjet CP 5225	प्रति नग	10900.00
103	Cartridge HP Printer Color Laserjet CP 5225 Reffling	प्रति नग	1200.00
104	CDRW Sony /HP /moserbear	प्रति नग	58.00
105	CDR Sony /HP /moserbear jewlcase	प्रति नग	26.00
106	DVD Sony jewelcase	प्रति नग	48.00
107	USB Key Board	प्रति नग	1185.00
108	Pen Drive 8 GB	प्रति नग	710.00
109	Pen Drive 16 GB	प्रति नग	850.00
110	Pen Drive 32 GB	प्रति नग	1860.00
111	Pen Drive 64 GB	प्रति नग	2050.00
112	UPS Battery	प्रति नग	1280.00
113	Canon 303 Cartridge	प्रति नग	8800.00
114	D-Link Switch 8 Port	प्रति नग	1090.00
115	Quick Heal Total Security 3 year anti viras	प्रति नग	3650.00

(initials)

116	Toolkit (for computer)	प्रति नग	345.00
117	Printer cartridge (HP Laserjet 1020)	प्रति नग	9400.00
118	Black D8J185	प्रति नग	14300.00
119	Magenta CN6235	प्रति नग	14300.00
120	Yellow CN6245	प्रति नग	14300.00
121	Blue CN 6225	प्रति नग	14300.00
122	One dot CN 6245	प्रति नग	14250.00
123	Two dot. CN 6225	प्रति नग	14280.00
124	Three dot CN 6235	प्रति नग	14230.00
125	Gray 72 (C9371A)	प्रति नग	14300.00
126	UPS 650 VA	प्रति नग	4250.00
127	colour cartridge for printer hp 576Dw	प्रति नग	7300.00
128	Black cartridge for printer hp 576Dw [Hp 970 Setup]	प्रति नग	**7300.00**

(2) मैसर्स केन्द्रीय भण्डार की न्युनतम दरें जिनका अनुमोदन किया जाना है:-

Sl.No	Description of Work / Item(s)	Units	Rate inclusive of all taxes
1	पेन स्टेण्ड (चार पेन)	प्रति नग	312.00
2	पेन स्टेण्ड (दो पेन)	प्रति नग	301.00
3	पेन्सिल कार्बन (कोरस) सफायर	प्रति पैकेट	231.00
4	पेन्सिल कलर सेट (अलग अलग कलर के)	प्रति सेट	61.00
5	सेलो टेप *(1/2") (65 Mtr.)*	प्रति नग	34.00
6	ब्राउन टेप *(1") (65 Mtr.)*	प्रति नग	43.00
7	ब्राउन टेप *(3") (65 Mtr.)*	प्रति नग	62.00
8	फाईल पेड "4" (मिडियम) लगोट	प्रति नग	11.50
9	पेपर कटर (मिडियम)	प्रति नग	20.50
10	आरी (प्लास्टिक हैण्डल)	प्रति नग	20.65
11	आरी (स्टील हैण्डल)	प्रति नग	23.50
12	पिन कुशन सुपिरियर क्वालिटी	प्रति नग	35.50
13	लिफाफे ब्राउन कलर *(9x4)*	प्रति नग	1.05
14	लिफाफे ब्राउन कलर *(11x5)*	प्रति नग	1.30
15	स्केल प्लास्टिक 12 इंच	प्रति नग	19.25
16	स्केच पेन सेट 12 रंग के	प्रति सेट	30.00
17	रूल्ड रजिस्टर 70 *GSM 17x27/4* लेजर पेपर 288 पेज	प्रति नग	267.00
18	स्टाम्प पेड मीडियम साईज	प्रति नग	34.00
19	स्टाम्प पेड बिग साईज	प्रति नग	72.00
20	गोंद की बोतल (150 एम एल केमल)	प्रति नग	49.00
21	गोंद की बोतल (300 एम एल केमल)	प्रति नग	75.00

22	एच बी पेन्सिल	प्रति पैकेट	49.00
23	फोटो कॉपी पेपर रीम ए3 साईज 80 GSM	प्रति रिम	490.00
24	स्लिप बुक बडी मय मुद्रण 18x22/4	प्रति नग	46.50
25	लिफाफा सफेद सूर्या 100नं 9x4	प्रति नग	1.45
26	लिफाफा सफेद सूर्या 100 नं. 11x5	प्रति नग	1.90
27	ड्राईवर लॉग बुक छोटी	प्रति नग	57.50
28	कलर फोटो कॉपी पेपर ए4 75 GSM Rim	प्रति रीम	390.00
29	कान्फ्रेन्स फोल्डर सिलाई वाले	प्रति नग	350.00
30	स्पाईरल डायरी मय कवर बहुरंगीय प्रिण्टिग तथा इनर पेज सिंगल कलर प्रिण्टिंग 50 पेपर की 18x22/8	प्रति नग	40.00
31	स्पाईरल डायरी नीलगगन मिक्स कलर 100 पेपर की 18x22/8	प्रति नग	60.00
32	स्पाईरल डायरी नीलगगन मिक्स कलर 100 पेपर की 18x22/4	प्रति नग	90.00
33	व्हाईट बोर्ड (दर प्रति फीट दे)	प्रति फीट	184.50
34	डस्ट बीन छोटी (ढक्कन वाली)	प्रति नग	145.00
35	डस्ट बीन बडी (ढक्कन वाली)	प्रति नग	194.00
36	पंचिग मशीन 52 नं	प्रति नग	115.00
37	यु पीन बडी साईज (33 एमएम 100 प्रतिपैकेट)	प्रति पैकेट	46.00
38	फेविकोल ट्यूब	प्रति नग	20.00
39	पेपर वेट कांच के	प्रति नग	30.00
40	पेपर वेट प्लास्टिक	प्रति नग	31.50
41	बिल रजिस्टर (50 पेज)	प्रति नग	136.00
42	रबड (Eresar)	प्रति नग	1.39
43	शार्पनर	प्रति नग	3.35
44	पेपर क्लिप 19एमएम	प्रति पैकेट	4.50
45	पेपर क्लिप 25एमएम	प्रति पैकेट	7.00
46	पेपर क्लिप 41एमएम	प्रति पैकेट	10.00
47	पेन टम्बलर	प्रति नग	175.00
48	रंगीन टेप 1/2 इंच	प्रति नग	30.00
49	रंगीन टेप 1 इंच	प्रति नग	41.00
50	पेन यूज एण्ड थ्रो	प्रति नग	3.50
51	हाइलाईटर पेन	प्रति नग	19.50
52	टेप डिस्पेन्सर बड़ा	प्रति नग	240.00
53	टेप डिस्पेन्सर छोटा	प्रति नग	200.00
54	ड्रिल मशीन (ED 10 SS)	प्रति नग	4500.00
55	व्हाईट बोर्ड मार्कर पेन	प्रति नग	27.50
56	ऑयल पेन्ट मार्कर पेन	प्रति नग	40.00
57	कंची बड़ी कंगारू	प्रति नग	180.00
58	टेबल टॉप स्टैण्ड एक्रिलिक साईज 18"X24"	प्रति नग	4800.00
59	मेजरमेंट टेप 100 फिट	प्रति नग	650.00

3ी))

60	ब्लोअर (बारको)	प्रति नग	5500.00
61	10x12x1 80 Columns Rim 80 GSM	प्रति रीम	810.00
62	10x12x2 80 Columns Rim GSM 80+60	प्रति रीम	950.00
63	10x12x3 80 Columns Rim 60 GSM 80+60+60	प्रति रीम	963.00
64	15x12x1 132 Columns Rim 80 GSM	प्रति रीम	1030.00
65	15x12x2 132 Columns Rim GSM 80+60	प्रति रीम	1145.00
66	15x12x3 132 Columns Rimgsm 80+60+60	प्रति रीम	1110.00
67	Cartridge 80 A	प्रति नग	10200.00
68	Cartridge 90 A	प्रति नग	10500.00
69	Cartage 93 A	प्रति नग	24990.00
70	Drum Cartridge 93 A	प्रति नग	2200.00
71	Extrenal hard disk (1TB)	प्रति नग	9600.00
72	Extrenal hard disk (2TB)	प्रति नग	16500.00
73	Dilink 3 meter pach cable	प्रति नग	425.00
74	Extrenal Power board	प्रति नग	265.00
75	Cyan 72 (C9371A)	प्रति नग	7800.00
76	Magenta 72 (C9371A)	प्रति नग	7800.00
77	Yellow 72 (C9371A)	प्रति नग	7800.00
78	Matte Black 72 (C9371A)	प्रति नग	7800.00
79	Photo Black 72 (C9371A)	प्रति नग	7800.00
80	Gray 72 (C9371A)	प्रति नग	7800.00
81	Printer cartridge (HP LaserJet 1007)	प्रति नग	12100.00
82	Lan Tester (For Networking work)	प्रति नग	375.00

उपरोक्तानुसार प्रकरण निर्णयार्थ स्वीकृति हेतु कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 6 :: खसरा नम्बर 327, 328 ग्राम सांवत कुआ कंला में जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय को भूमि आवंटन के संबंध में।

क्र.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे के सम्बन्ध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे के सम्बन्ध में अभिषंशा/प्रस्ताव
1.	कृषि विश्वविद्यालय हेतु भूमि आवंटन के संबंध में ग्राम सावंत कुआ कलां खसरा न 327 व 328 में कृषि अनुसंधान हेतु भूमि आवंटन की अनुशांषा की गई है।	कृषि अनुसंधान हेतु भूमि आवंटन की अनुशांषा की गई है जिसके आवंटन हेतु पत्रावली मय एजेण्डा निर्णयार्थ हेतु प्रस्तुत है।

जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय ग्राम सांवत कुआ कलां के खसरा संख्या 327, 328 में भूमि का आवंटन किया जाना है।

पटवारी की मौका रिपोर्ट दिनांक 27.9.2019 के अनुसार ग्राम सावत कुआ कला के खसरा नम्बर 327 रकबा 534.18 एवं खसरा न. 328 रकबा 292.14 बीघा किस्म गै.मु. गौचर कुल रकबा 827.12 होना बताया गया है उक्त भूमि जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के नाम दर्ज है एवं मौके पर उक्त भूमि के आस पास आंशिक अतिक्रमण है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट दिनांक 27.9.2019 अनुसार मास्टर प्लान 2031 (ड्राफ्ट) रिपोर्ट के अनुसार यू-3 होना बताया गया है, डीसीआर अनुसार 100 फीट व अधिक सड़क मार्गाधिकार पर अनुज्ञेय बताया गया है। विधि शाखा की रिपोर्ट दिनांक 26.9.2019 के अनुसार उक्त खसरा भूमि में कोई वाद लम्बित होना नही बताया है।

कुल सचिव जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर का पत्र दिनांक 20.9.2019 के द्वारा उक्त भूमि आवंटन हेतु विश्वविद्यालय के उच्च अधिकारियो द्वारा दिनांक 13.9.2019 एव 18.9. 2019 को जोधपुर -नागौर राष्ट्रीय राजमार्ग के पास सटे ग्राम सावंत कुआ कलां तहसील बावड़ी का भ्रमण कर खसरा न 327 एवं 328 की कुल रकबा 827.12 बीघा भूमि कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के बीज उत्पादन एवं अनुसंधान कार्यो के प्रयोजनार्थ उपयुक्त बताया गया है। उक्त भूमि आवंटित की जाती है तो पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 11.10.2019 के अनुसार 1452/- प्रति वर्गमीटर से गणना की जावेगी।

अतः जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय को खसरा संख्या 327, 328 ग्राम आंगणवा में रकबा 827.12 बीघा भूमि आवंटन हेतु प्राधिकरण की कार्याकारी समिति की बैठक में वास्ते निर्णयार्थ हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव अनुसार आरक्षित दर पर भूमि आवंटन की प्राधिकरण की अभिशंषा के साथ प्रकरण राज्य सरकार को आवंटन की सक्षम स्वीकृति हेतु प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 7 :: खसरा नम्बर 90, 90/1 ग्राम आंगणवा में कृषि मण्डी को भूमि आवंटन के संबंध में।

क्र.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे के सम्बन्ध में धोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे के सम्बन्ध में अभिषंशा/प्रस्ताव
1.	कृषि उपज मण्डी खसरा नं. 90, 90/1 ग्राम आंगणवा कृषि उपज मण्डी हेतु भूमि आवंटन की अनुशंषा की गई है।	कृषि उपज मण्डी हेतु भूमि आवंटन की अनुशंषा सहित पत्रावली निर्णयार्थ हेतु प्रस्तुत है।

ग्राम आंगणवा के खसरा संख्या 90, 90/1 में कृषि उपज मण्डी (अनाज) हेतु भूमि का आवंटन किया जाना है।

पटवारी की मौका रिपोर्ट अनुसार दिनांक 18.9.2019 के द्वारा ग्राम आंगणवा के खसरा नम्बर 90 रकबा 52.00 बीघा तथा खसरा नम्बर 90/1 रकबा 119.08 बीघा किस्म गै.मु. गौचर बताया गया है। खसरा नम्बर 90/1 रकबा 119.08 बीघा मे से कृषि उपज मण्डी (अनाज) को

90 बीघा भूमि पूर्व में आवंटित की जा चुकी है। जिसकी स्वीकृति हेतु राज्य सरकार पत्र दिनांक 8.8.2019 के द्वारा पत्र लिखा जा चुका है। शेष भूमि 29.08 बीघा भूमि रिक्त है। भूमि 52.00 बीघा एवं 29.08 बीघा कुल भूमि 81.08 बीघा भूमि कृषि उपज मण्डी (अनाज) को आवंटन हेतु उपलबध है। उक्त भूमि जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के नाम दर्ज होना बताया गया है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट दिनांक 27.9.2019 में भू-उपयोग मास्टर प्लान 2031 (ड्राफ्ट) अनुसार ट्रांसपोर्ट / ऑटोमोबाइल्स नगर प्रयोजनार्थ बताया गया है। मास्टर प्लान – 2023 के प्रावधान अनुसार अनुज्ञेय नही है परन्तु राज्य सरकार के आदेश दिनांक 20.7.2019 अनुसार व्यापक जनहित में नियमानुसार भू-उपयोग परिवर्तन किया जा सकता है।

विधि शाखा की रिपोर्ट दिनांक 26.9.2019 के अनुसार उक्त खसरा भूमि में कोई वाद लम्बित नही है।

अतः कृषि उपज मण्डी (अनाज) को भूमि आवंटनखसरा संख्या 90, 90/1 ग्राम आंगणवा में रकबा 81.08 बीघा भूमि आवंटन के संबंध में प्राधिकरण की कार्याकारी समिति की बैठक में वास्ते निर्णयार्थ हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव अनुसार आरक्षित दर पर भूमि आवंटन की प्राधिकरण की अभिषंशा के साथ प्रकरण राज्य सरकार को आवंटन की सक्षम स्वीकृति हेतु प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 8 :: खसरा नम्बर 489/17 ग्राम थबुकड़ा ग्राम पंचायत लोरड़ी पण्डित जी श्मशान भूमि आवंटन के संबंध में।

क्र.स.	**प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे के सम्बन्ध में घोषणा**	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे के सम्बन्ध में अभिषंशा/प्रस्ताव
1.	**श्मशान भूमि आवंटन हेतु खसरा न 489/17 ग्राम थबुकड़ा ग्राम पंचायत लोरडी श्मशान हेतु की अनुशंषा की गई है।**	**श्मशान भूमि आवंटन की अनुशंषा सहित पत्रावली निर्णयार्थ हेतु प्रस्तुत है।**

श्मशान भूमि को खसरा संख्या 489/17 ग्राम थबुकड़ा में 9 बीधा भूमि का आवंटन किया जाना है। पटवारी की मौका रिपोर्ट अनुसार दिनांक 19.2.2019 के द्वारा ग्राम थबुकडा के खसरा नम्बर 489/17 रकबा 275.04 बीधा किस्म गै.मु. ओरण बताया गया है उक्त भूमि जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के नाम दर्ज होना बताया गया एवं मौके पर उक्त भूमि पर 8–9 बीधा भूमि पर श्मशान का उपयोग किया जा रहा है एवं मौके पर हौद, चबुतरी, छतरीया, आदि निर्मित है। मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर सड़क व छोटी नाडी के बीच श्मशान है परन्तु सड़क सीमा छोड़ने पर यहा भूमि केवल 15'–से 20' ही रहेगी। अतः दोनो तलाबो के मध्य की भूमि पर मौके पर श्माशन काम में लिया जा रहा है। मौके पर एक ही सार्वजनिक टांका है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार मास्टर प्लान 2031 (ड्राफ्ट) रिपोर्ट के बिन्दु सं 5. 6.5 अनुसार शहर में भविष्य की आवश्यकताओं हेतु उपयुक्त स्थलों का चयन कर नगरीय क्षेत्र 1. नगरीय क्षेत्र 2. एवं ग्रामीण क्षेत्रों में श्मशान एंव कब्रिस्तान स्थापित किये जायेगें। लैण्ड पुलिंग एवं डिस्ट्रीब्यूशन जोन अनुसार लैण्ड पुलिंग क्षेत्र में गुजरात मॉडल के तहत भूमि के समूहो को पुलिंग किया जाकर भूमि में सड़को एवं सुविधाओं का निर्धारण किया जायेगा। साथ

ही उक्त जोन की विस्तृत योजना तैयार की जावेगी जिसमें सुविधा क्षेत्र आरक्षित रखे जावेगे। श्मशान हेतु भूमि की जनोपयोग सुविधा है।

विधि शाखा की रिपोर्ट दिनांक 20.9.2019 के अनुसार उक्त खसरा भूमि में कोई वाद लम्बित नही है।

अतः श्मशान भूमि को खसरा संख्या 489/17 ग्राम थबुकड़ा में रकबा 275.04 मे से 9 बीधा भूमि आवंटन के संबंध में प्राधिकरण की कार्याकारी समिति की बैठक में वास्ते निर्णयार्थ हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव अनुसार भूमि आवंटन/आरक्षण की प्राधिकरण की अभिषंशा के साथ प्रकरण राज्य सरकार को आवंटन/आरक्षण की सक्षम स्वीकृति हेतु प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 9 :: ग्राम धिनाणा की ढाणी खसरा संख्या 575/8/2, रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा 03 बिस्वांशी आवासीय (जोधपुर मास्टर प्लान 2023) से शैक्षणिक प्रयोजनार्थ में भू–उपयोग परिवर्तन करने बाबत्।

क्र.सं.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे के संबंध में अभिषश /प्रस्ताव
1	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार एजेण्डा में किसी प्रकार का तथ्य छुपाया नही गया है।	जोधपुर मास्टर प्लान 2023 में आरक्षित वर्तमान भू–उपयोग आवासीय से शैक्षणिक प्रयोजनार्थ हेतु भू–उपयोग परिवर्तन हेतु अनुशंषा की जाती है।

एजेण्डा नोटः– ग्राम धिनाणा की ढाणी के खसरा संख्या 575/8/2 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा 03 बिस्वांशी भूमि के वर्तमान भू–उपयोग आवासीय से शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन करने के संबंध में। (प्रकरण संख्या एफ.37/भूउप/03/2018 आवेदक बसन्त एज्यूकेशन सोसायटी जरिये अध्यक्ष विनय कुमार जैन पुत्र श्री सुखवीर सिंह जैन, निवासी– ए–46, शास्त्रीनगर, जोधपुर।

प्राधिकरण में हुई कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक– 24 मई, 2019 की बैठक के प्रस्ताव संख्या–07 में लिए गये प्रकरण के संबंध में विस्तृत विचार विमर्श सर्वसम्मति से प्रकरण मे मार्गाधिकार/पहुँच मार्ग के बारे में स्पष्ट रिपोर्ट प्राप्त कर प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

पत्रावली के पैरा संख्या 66 में पटवारी की मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर खसरा संख्या 571/1 रकबा 4.10 गै.मु. सडक से राजस्व नक्शे में बताए अनुसार रोड मय डिवायडर चल रही है। इस प्रकार पहुंच मार्ग (मार्गाधिकार) हेतु तीन स्टेज निम्नानुसार हैः–

1. मुख्य पाल मेला रोड़ जिसका खसरा संख्या 571/1 रकबा 4.10 गै.मु. सड़क यह पी. डब्ल्यू.डी के नाम पर दर्ज है।

2. खसरा संख्या 571 व 571/6 के बीच में से 60' चौडी रोड़ प्राधिकर ण द्वारा जारी पट्टा क्रमांक 4535/21.08.2017 में स्पष्ट रूप से दर्शायी हुई है, जो मौके पर भी पट्टा अनुसार है तथा निर्बाध रूप से आवागमन हेतु मौके पर चल रही है।

3. मौके एवं नक्शे अनुसार खसरा संख्या 571 में 98'4" (पट्टा संख्या 4535/21.08.2017 की पूर्वी भुजा अनुसार) पश्चात् खसरा संख्या 575 स्थित है, जिसमें प्रश्नगत भूमि खसरा संख्या 575/8/2, खसरे के उत्तर व पश्चिम कोने में स्थित है के पूर्वी तरफ से खसरा संख्या 575 के खातेदारों द्वारा आपसी सहमति से 60' फीट चौडा रास्ता (रोड़) मौके पर निर्बाध रूप से आवागमन हेतु उपलब्ध है। राजस्व नक्शे में उक्त 60' चौडी रोड़ दर्शा रखी है, परन्तु उसमें खसरा संख्या का अंकन नहीं है, पटवारी हल्का पाल से हुई बातचीत अनुसार मूल नक्शे में भी यही स्थिति है।

अतः उपरोक्तानुसार आवेदित भूमि के आवासीय से शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भू उपयोग परिवर्तन करने की अनुशंषा राज्य सरकार को की जा सकती है। राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 20 जुलाई, 2017 में उल्लेखित प्रावधानुसार शैक्षणिक गतिविधियों को व्यापक जनहित माना गया है।

अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण में उल्लेखित पहुंच मार्ग के स्वामित्व के संबंध में स्पष्ट रिपोर्ट एवं अन्य आवश्यक संपूर्ण सूचनाओं के साथ प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 10 :: ग्राम डांगियावास के खसरा संख्या 117 किस्म गै.मु. गोचर नवीन उपस्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण हेतु भूमि आवंटन के संबंध में।

क.स.	विषय	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	ग्राम डांगियावास के खसरा संख्या 117 किस्म गै.मु. गोचर नवीन उपस्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण हेतु 1 बीघा भूमि आवंटन के संबंध में।	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	नगरीय विकास विभाग के पत्र दिनांक 25.11.2016 के अनुसार निःशुल्क आवंटन की शक्तियां प्राधिकरण को प्रत्यायोजित किये जाने पर ग्राम डांगियावास के खसरा संख्या 117 किस्म गै.मु. गोचर में आयोजना शाखा, विधि शाखा एवं पटवारी की मौका रिपोर्ट अनुसार उपस्वास्थ्य भवन हेतु 500 वर्गमीटर तक निःशुल्क भूमि आवंटन की जा सकती है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर के पत्र कमांक 23939 दिनांक 27.12.2018 के द्वारा आवंटन नीति–2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र– स' में आवेदन पेश कर जोधपुर में ग्राम सोलह मील फांटा बावरला बिसलपुर के पास उपस्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण हेतु भूमि आवंटन आवंटन की मांग की गई है।

पटवारी (पूर्व) द्वारा ग्राम डांगियावास के खसरा संख्या 117 रकबा 70 बीघा किस्म गै.मु. गोचर जोधपुर विकास प्राधिकरण के स्वामित्व की भूमि पर 1 बीघा भूमि का चिन्हिकरण किया गया है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 117 ग्राम डांगियावास का भू–उपयोग एमडीपी–2031 (ड्राफ्ट) अनुसार यू–3 (हाईवे कॉरिडोर्स जोन) मे दर्शाया गया है। आयोजना शाखा में उपलब्ध आपत्ति/सुझाव विश्लेषण एमडीपी–2031 (ड्राफ्ट) के अनुसार उक्त खसरा विशेष पर कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई है। एमडीपी–2031 (ड्राफ्ट) की रिपोर्ट में यू–3 के डीसीआर अनुसार सरकारी/पब्लिक यूटिलिटिज को ऑन ऑल रोड़ आफ्टर अप्रूवल फॉर्म कोम्पिटेन्ट ऑथोरिटी दर्शाया गया है।

विधि शाखा के पेन्डिंग केश रजिस्टर के अनुसार खसरा संख्या 117 ग्राम डांगियावास में कोई वाद लंबित नहीं है।

प्राधिकरण के पत्र कमांक 696 दिनांक 25.09.2019 के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव प्राधिकरण की वेबसाईट पर आमजन की टिप्पणी/आपत्ति प्राप्त करने हेतु न्यूनतम 15 दिवस के लिए अपलोड किया जा चुका है।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम नगरीय विकास विभाग के पत्र कमांक एफ.3(55) नविवि/3/2002 दिनांक 25.11.2016 के आदेशानुसार भूमि आवंटन नीति–2015 के अंतर्गत राजस्थान के नगरीय निकायों को निःशुल्क आवंटन की शक्तियां प्रत्यायोजित करने के संबंध में उपस्वास्थ्य केन्द्र हेतु 500 वर्गमीटर तक निःशुल्क भूमि आवंटन की शक्तियां विकास प्राधिकरणों को प्रत्यायोजित की स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतः बैठक में उचित निर्णयार्थ पेश है।

निर्णय

बैठक में विचार विमर्श के दौरान उपस्थित निदेशक आयोजना द्वारा अवगत कराया गया कि प्रकरण में भू–उपयोग परिवर्तन की आवश्यकता नहीं अतः बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण में प्रस्तावानुसार 500 वर्ग मीटर भूमि निःशुल्क आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 11 :: मिनी सचिवालय जोधपुर भवन निर्माण हेतु 100 बीघा भूमि आवंटन के संबंध में।

क.स.	विषय	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	ग्राम गुड़ा विश्नोईयां के खसरा संख्या 713 रकबा 629.10 बीघा किस्म गै.मु. गोचर में से 100 बीघा भूमि मिनी सचिवालय जोधपुर के भवन निर्माण हेतु भूमि आवंटन के संबंध में।	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	आवंटन नीति–2015 के बिन्दु संख्या 9.3 व 9.7 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार से सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर प्राधिकरण स्तर पर भूमि आवंटन की जा सकती है।

बजट घोषणा 2014–15 की अनुपालना में समस्त जिला मुख्यालय राजस्थान पर मिनी सचिवालय भवनों का निर्माण किये जाने पर श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव महोदय, सामान्य प्रशासन ग्रूप–4 विभाग राजस्थान जयपुर से प्राप्त अ.शा.प्र.सं. 22 (8) साप्र/ग्रूप–4/16 जयपुर

दिनांक 11.11.2016 में दिये गये बिन्दुओं के निर्देशानुसार मिनी सचिवालय के भवन निर्माण हेतु 100 बीघा भूमि आवंटन के निर्देश दिये गये। जिसकी पालना में अपर जिला कलक्टर जोधपुर के पत्र कमांक प.40(35) सामान्य/2016/23675 दिनांक 22.11.2016 के द्वारा 100 बीघा भूमि का चयन कर उपलब्ध कराने के आदेश प्रदत्त है।

पटवारी (पूर्व) की मौका रिपोर्ट अनुसार ग्राम गुड़ा विश्नोईयां के खसरा संख्या 713 रकबा 629.10 बीघा किस्म गै.मु. गोचर का स्वामित्व जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम भूमि उपयुक्त पाई गई है। उक्त भूमि नवीन उच्च न्यायालय परिसर से लगभग 10 से 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। उक्त भूमि मिनी सचिवालय के भवन निर्माण हेतु 100 बीघा भूमि प्राधिकरण जोन पूर्व क्षेत्राधिकार में नजदीक व उपयुक्त पाई गई है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम गुड़ा विश्नोईयां के खसरा सख्या 713 का भू-उपयोग एमडीपी-2031 (ड्राफ्ट) अनुसार यू-2 स्पोर्टस सिटी प्रस्तावित 200 फीट रोड के अंतर्गत दर्शाया गया है। आयोजना शाखा में उपलब्ध आपत्ति/सुझाव विश्लेषण एमडीपी-2031 (ड्राफ्ट) अनुसार उक्त खसरा विशेष पर कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई है। एमडीपी-2031 (ड्राफ्ट) की रिपोर्ट अनुसार यू-2 के डीसीआर में केन्द्रीय कार्यालय/राजकीय विभाग को अनुज्ञेय दर्शाया गया है। स्पोर्टस सिटी में सरकारी/पब्लिक यूटीलिटीज को ऑन ऑल रोड आफ्टर अप्रूवल फॉर्म कॉम्पीटेन्ट ऑथोरिटी दर्शाया गया है।

विधि शाखा में उपलब्ध पेडिंग केस रजिस्टर के अनुसार खसरा संख्या 713 ग्राम गुड़ा विश्नोईयां से संबधित कोई वाद लंबित होना नही बताया गया है।
आवंटन नीति-2015 के प्रावधानों के अंतर्गत भूमि का चिन्हिकरण कर आवंटन करने से पूर्व विभागीय वेबसाईट पर न्यूनतम 15 दिवस के लिए अपलोड करने का प्रावधान है ताकि उस पर आमजन की टिप्पणी/आपत्ति प्राप्त की जा सके। जिसकी पालना में प्राधिकरण के पत्र कमांक 751-752 दिनांक 10.10.2019 के द्वारा प्राधिकरण की वेबसाईट पर प्रस्ताव अपलोड किया जा चुका है।

राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न उद्देश्यों के लिये भूमि आवंटन नीति-2015 के बिन्दु सख्या 9.7 में प्रावधानों के किसी भी बिन्दु में छूट/शिथिलता राज्य सरकार के स्तर पर दी जा सकेगी एवं बिन्दु संख्या 9.3 राजकीय विभागों को भूमि निःशुल्क आवंटन राज्य सरकार की अनुमति से ही किये जाने का प्रावधान है।

अतः प्रकरण बैठक में उचित निर्णयार्थ पेश है।

निर्णय

बैठक में विचार विमर्श के दौरान यह पाया गया कि प्रकरण में आवश्यक सूचनाओं को अभाव है। अतः बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण समस्त सूचनाओं के साथ पुनः जॉच कर आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 12 :: 50% से अधिक Individual Excess Items की स्वीकृति के सम्बंध मे। कार्य का नाम:- राजपुत समाज शमशान अन्नासागर में विकास कार्य, अनुबंध संख्या एफ38(125)2013-14

क्र सं	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणीयों के	50% से अधिक individual

ड़ि)7

	अनुसार कोई तथ्य छिपाया नही गया है।	excess items की स्वीकृति का प्रस्ताव

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के जोन उत्तर द्वारा सन्दर्भित अनुबंध के तहत राशि रूपये 20.00 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति तथा 20.00 लाख की तकनीकी स्वीकृति उपरान्त राशि रूपये 18,08,934/– का कार्यादेश दिनांक 11.07.2013 को मैसर्स बी.एस सोलंकी बिल्डर्स को जारी किया गया था। उक्त कार्य के अन्तर्गत किया गया Excess कार्य A&F की सीमा के अन्दर ही है अतः कार्यकारी समिति की बैठक में 50% से अधिक individual Excess items की स्वीकृति हेतु प्रकरण प्रस्तुत है।

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के जोन उत्तर द्वारा सन्दर्भित अनुबंध के तहत राशि रूपये 20.00 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति तथा 20.00 लाख की तकनीकी स्वीकृति उपरान्त राशि रूपये 18,08,934/– का कार्यादेश दिनांक 11.07.2013 को मैसर्स बी.एस सोलंकी बिल्डर्स को जारी किया गया था। कार्य के अन्तर्गत करवाये गये individual Excess items जो कि 50% से अधिक है का विवरण निम्नानुसार है–

G-schedule item no	Item Name (in brief)	As per G-schedule qty	Total Executed qty	Excess qty	% of Excess individual items	Rate (Rs)	Qty. more than 50%	Amount
3	transportation ------ and lifts.	13.5 cum	91.19 cum	77.69 cum	575.48%	66.50	70.94 cum	4717.51
8	R R Stone -------- 1:6	38 cum	127.74 cum	89.74 cum	236.16%	2506	70.74 cum	177274.4
9	supply --------- transportation etc.	42 cum	152.21 cum	110.21 cum	262.40%	125	89.21 cum	11151.2
12	Extra for facing --------- sort.	220 sqm	404.90 sqm	184.90 sqm	84.05%	197	74.90 sqm	14755.3
Total Amount								207898.4
(-)T.P Less (5% below G schedule)								10394.92
Net Amount								197503.48

उक्त कार्य के अन्तर्गत किया गया Excess कार्य A&F की सीमा के अन्दर ही है अतः कार्यकारी समिति की बैठक में 50% से अधिक उपरोक्त individual excess items की स्वीकृति हेतु प्रकरण प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में विचार विमर्श के दौरान यह पाया गया कि प्रकरण में आवश्यक सूचनाओं एवं तथ्यों को अभाव है। अतः बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण समस्त तथ्यों एवं जॉच के साथ आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 13 :: 50% से अधिक Individual Excess Items की स्वीकृति के सम्बंध मे। कार्य का नामः– देवासी समाज शमशान अन्नासागर में विकास कार्य, अनुबंध संख्या एफ38(96)2013–14

क्र सं	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे में अभिशंषा / प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणीयों के अनुसार कोई तथ्य छिपाया नही गया है।	50% से अधिक individual excess items की स्वीकृति का प्रस्ताव

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के जोन उत्तर द्वारा सन्दर्भित अनुबंध के तहत राशि रूपये 20.00 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति तथा 20.00 लाख की तकनीकी स्वीकृति उपरान्त राशि रूपये 17,62,646/– का कार्योदश दिनांक 10.07.2013 को मैसर्स बी.एस सोलंकी बिल्डर्स को जारी किया गया था। उक्त कार्य के अन्तर्गत किया गया Excess कार्य A&F की सीमा के अन्दर ही है अतः कार्यकारी समिति की बैठक में 50% से अधिक individual Excess items की स्वीकृति हेतु प्रकरण प्रस्तुत है।

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के जोन उत्तर द्वारा सन्दर्भित अनुबंध के तहत राशि रूपये 20.00 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति तथा 20.00 लाख की तकनीकी स्वीकृति उपरान्त राशि रूपये 17,62,646/– का कार्योदश दिनांक 10.07.2013 को मैसर्स बी.एस सोलंकी बिल्डर्स को जारी किया गया था। कार्य के अन्तर्गत करवाये गये individual Excess items जो कि 50% से अधिक है का विवरण निम्नानुसार है–

G-schedule item no	Item Name (in brief)	As per G-schedule qty	Total Executed qty	Excess qty	% of Excess individual items	Rate (Rs)	Qty. more than 50%	Amount
3	Earth work ----- with in a lead of 50 meter. all kinds of soil.	72 cum	142.65 cum	70.65 cum	98.125%	138	34.65 cum	4781.70
6	R R Stone -------- 1:6	72 cum	125.88 cum	53.88 cum	74.83%	2506	17.88 cum	44807.28
Part B-1a	P & F G.I.----------- 15 mm dia	15 mtr	30 mtr	15 mtr	100%	163	7.5 mtr	1222.50
							Total Amount	50811.48
							(-)T.P Less (5% below G schedule)	2540.57
							Net Amount	48270.91

ह0

उक्त कार्य के अन्तर्गत किया गया Excess कार्य A&F की सीमा के अन्दर ही है अतः कार्यकारी समिति की बैठक में 50% से अधिक individual Excess items की स्वीकृति हेतु प्रकरण प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में विचार विमर्श के दौरान यह पाया गया कि प्रकरण में आवश्यक सूचनाओं एवं तथ्यों का अभाव है। अतः बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण समस्त तथ्यों एवं जाँच के साथ आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 14 :: जोधपुर शहर में प्रस्तावित सारण नगर से बनाड तक फोर–लेन सडक निर्माण, जोजरी नदी पर पुल व माता का थान नाले को जोजरी नदी तक जोडने के कार्य की डी.पी.आर बनाने के संबंध मे।

उपरोक्त विषय में राज्य सरकार द्वारा डी.पी.आर बनाने हेतु वर्ष 2019–20 बजट में दिनांक 10.07.2019 को घोषणा की गई थी। इस क्रम में प्राधिकरण द्वारा राज्य सरकार को बजट उपलब्ध कराने हेतु पत्र लिखा गया था। जिसके सम्बंध में नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार का स्वीकृति आदेश क्रमांक प. 12(31)नविवि/1/बजट/2018 दिनांक 27/09/2019 मय शर्तो के प्राप्त हो चुका है। प्राधिकरण के जोन उत्तर द्वारा ई–निविदा संख्या 03/2019–20 के द्वारा उक्त कन्सलटेन्सी कार्य हेतु ई–निविदाए आमत्रित की गई थी जिसमें कुल छः फर्मो द्वारा भाग लिया गया। तकनीकी निविदा मूल्यांकन में छः में से तीन फर्मे ही Responsive (योग्य) पाई गई–

1. MaRS Planning and Engineering Service pvt. ltd.
2. Feedback Infra Private Limited
3. Caritas Infra Consulting pvt. Ltd

Responsive पाई गई तीनों फर्मो की वित्तीय बिड दिनांक 09.09.19 को खोली गई जिसमें मैसर्स MaRS Planning & Engineering Services Pvt. Ltd. द्वारा प्रस्तुत दर न्यूनतम (7925875/–) प्राप्त हुई। सफल निविदादाता M/S Mars Planning & Engineering Services Pvt. Ltd. द्वारा Nogotiation उपरान्त संशोधित दर 79,00000/– रूपये दी गई जिसकी सक्षम स्वीकृति SOP Item 06 के अनुसार कार्यकारी समिति में निहित होने के कारण पूर्व में कार्यकारी समिति में स्वीकृति की प्रत्याशा में कार्यादेश जारी करने की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

अतः आगामी कार्यकारी समिति की बैठक में सक्षम अनुमोदन व स्वीकृति हेतु प्रकरण प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 15 :: खसरा नम्बर 327, 328 ग्राम सांवत कुआ कंला में जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय को भूमि आवंटन के संबंध में।
नोटः:--एजेण्डा संख्या 06 व एजेण्डा संख्या 15 एक ही है। एजेण्डा संख्या 15 के रूप में दुबारा अकिंत हो गया ।

उक्त प्रस्ताव प्रस्ताव संख्या 6 पर पूर्व में इसी बैठक में निर्णित किया जा चुका है। अतः तद्नुसार कार्यवाही की जावे।

प्रस्ताव संख्या 16 :: जोधपुर शहर में प्रस्तावित ऐलिवेटेड रोड़ की डी.पी.आर बनाने हेतु कन्सलटेन्सी कार्य Consultancy work for Preparation of Detailed Project Report for Elevated Road from Krishi Mandi Circle to Akhaliya Circle via Sojati Gate in Jodhpur जिसकी लागत रू. 295.00 लाख है, की प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति तथा टर्म ऑफ रेफ्रेन्स की स्वीकृति बाबत्।

क्र सं	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे में अभिशंषा / प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणीयों के अनुसार एजेण्डा में किसी प्रकार का तथ्य छिपाया नही गया है।	कार्यकारी समिति की प्रत्याशा मे प्रशासनिक एंव तकनीकी स्वीकृति तथा टर्म ऑफ रेफ्रेन्स की स्वीकृति के अनुमोदन का प्रस्ताव

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2019-20 में जोधपुर शहर में एलिवेटेड रोड़ की डी.पी.आर. बनाने हेतु बजट में घोषणा दिनांक 10.07.2019 को की गयी थी। इस क्रम में प्राधिकरण द्वारा राज्य सरकार को बजट उपलब्ध कराने हेतु पत्र लिखा गया था, परन्तु नगरीय विकास विभाग द्वारा दिनांक 26.07.2019 के पत्र द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त कार्य के लिए प्राधिकरण अपने स्तर पर बजट में प्रावधान रखे। पूर्व में प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 03.09.2019 को प्रस्ताव सं. 04 में ऐलिवेटेड रोड की डीपीआर बनाने हेतु कन्सलटेन्सी कार्य जिसकी लागत राशि रू. 295.00 लाख की वित्तीय, प्रशासनिक, तकनीकि स्वीकृति एवं टर्म ऑफ रेफ्रेन्स की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। प्राधिकरण द्वारा कार्य की निविदां दिनांक 06.08.2019 को जारी कर दी गई थी, एवं दिनांक 05.09.2019 को वित्तीय बिड खोल दी गई जिसमें न्यूनतम दर राशि रू. 66,33,333.00 + GST मैसर्स एडवान्स इजिनिरिंग कन्सलटेन्ट की रही।

जोधपुर जिला कलक्टर की अध्यक्षता में दिनांक 18.09.2019 को आयोजित बैठक में जिला कलक्टर महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा निर्देश प्रदान किये गये है कि ऐलिवेटेड रोड़ की डीपीआर बनाने का कार्य महामंदिर सर्किल से आखलिया सर्किल के स्थान पर कृषिमण्डी सर्किल से आखलिया सर्किल तक करवाया जाये। जोधपुर जिला कलक्टर महोदय के निर्देशों की पालना में मैसर्स एडवान्स इजिनिरिंग कन्सलटेन्ट को पत्र द्वारा सूचित कर उनके द्वारा दी गई दर (राशि रू. 66,33,333.00 + GST) पर ही ऐलिवेटेड रोड़ की डीपीआर का कार्य 2 कि.मी. आगे (कृषि मण्डी सर्किल) तक करने की सहमति हेतु लिखा गया, जिसके जवाब में मैसर्स एडवान्स इजिनिरिंग कन्सलटेन्ट द्वारा पत्र से इस कार्यालय को अवगत कराया की वह इस बढ़ी हुई लम्बाई का कार्य करने हेतु वर्तमान दर में सहमत नहीं है।

चूकिं वर्तमान में प्राप्त दिशा–निर्देशों के अनुसार प्राधिकरण द्वारा ऐलिवेटेड रोड़ की डीपीआर का कार्य कृषि मण्डी सर्किल से पावटा सोजती गेट होते हुए आखलिया चौराहा तक (लम्बाई लगभग 9 कि.मी.) करवाया जाना है, अतः कार्य के नवीन Scope को देखते हुए एवं वर्तमान न्यूनतम दरदाता द्वारा इस नये Scope के कार्य को वर्तमान दर में करने पर सहमति नहीं देने की अवस्था में पूर्व में जारी निविदा को निरस्त किये जाने की स्वीकृति एवं नये Scope के अनुसार नवीन कार्य नाम Consultancy work for Preparation of Detailed Project Report for Elevated Road from Krishi Mandi Circle to Akhaliya Circle via Sojati Gate in Jodhpur हेतु राशि रू. 295.00 लाख की वित्तीय, प्रशासनिक, तकनीकि स्वीकृति एवं टर्म ऑफ रेफ्रेन्स की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण की कार्यकारी समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ एवं स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या 17(अ) :: राजकीय कन्या महाविद्यालय को मण्डोर के खसरा संख्या 1893 में भूमि आवंटन एवं भू–उपयोग परिवर्तन बाबत्।

कन्या महाविद्यालय को खसरा संख्या 1893 ग्राम मण्डोर में 10 एकड़ भूमि का आवंटन राज्य सरकार द्वारा बजट घोषणा वर्ष 2019–20 के अंतर्गत किया जाना है।

पटवारी एवं भू –निरिक्षक मौका रिपोर्ट दिनांक 22.8.2019 के अनुसार ग्राम मण्डोर द्वितीय के खसरा नम्बर 1893 रकबा 143.19 बीघा गै.मु. भाकर दर्ज है। उक्त भूमि नगर सुधार न्यास, जोधपुर के नाम दर्ज है एवं मौके पर सीबीआई कार्यालय के पीछे आर्य समाज के मध्य भूमि उपलब्ध है। जिसमें चार दीवारी एंव झोपड़ीनुमा आवासीय अतिक्रमण हो रखे है जिन पर खानाबदोश लोग बैठे है उन लोगो को हटाया दिया जायेगा। करीब 25 बीघा भूमि मौके पर उपलब्ध है। जिसे कन्या महाविद्यालय हेतु आवंटित की जा सकती है।

विधि शाखा की रिपोर्ट दिनांक 27.8.2019 के अनुसार वाद संख्या 7630/2010, 7631/2010 एवं 22/2012 के द्वारा वाद लम्बित होना बताया गया है। खसरा संख्या 1893 रकबा 143.19 बीघा का क्षेत्रफल बड़ा है। वाद में संबंधित प्रकरणो की भूमि प्रस्तावित भूमि से अलग है जिससे आवंटन में कोई कानुनी बाधा नही है।

निदेशक आयोजना का पत्र दिनांक 26.8.2019 के द्वारा उक्त भूमि का भू–उपयोग आवासीय हैं। जिसमें राज्य सरकार के आदेश दिनांक 20.7.2017 के अनुसार व्यापक जनहित में भू–उपयोग परिवर्तन किया जा सकता है। इस हेतु प्रकरण में उजर एतराज प्राप्त करने हेतु कार्यालय द्वारा दिनांक 15.10.2019 को आम सूचना का प्रकाशन करवाया गया है।

अतः कन्या महाविद्यालय को खसरा संख्या 1893 ग्राम मण्डोर में रकबा 143.19 मे से 10 एकड़ भूमि आवंटन के संबंध में प्राधिकरण की कार्याकारी समिति की बैठक में वास्ते निर्णयार्थ हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

राजकीय कन्या महाविद्यालय के लिए खसरा नम्बर 1893 ग्राम मण्डोर में रकबा 143.19 बीधा में से 10 एकड भूमि का का भू उपयोग व्यापक जनहित में आवासीय से संस्थानिक (शैक्षणिक) परिवर्तन करने हेतु प्राधिकरण की अभिशंषा सहित प्रकरण राज्य सरकार (मुख्य नगर नियोजक) को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया। साथ ही भू उपयोग परिवर्तन के बाद आवंटन हेतु भी राज्य सरकार की स्वीकृति पश्चात् भूमि आरक्षित दर पर आवंटन करने का भी निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 17(ब) :: राजकीय महाविद्यालय बावडी के खसरा नम्बर 806/1 में 5 एकड भूमि आवंटन बाबत्।

प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय बावड़ी द्वारा दिनांक 29.1.2019 को प्रपत्र स में आवेदन कर राजकीय महाविद्यालय बावड़ी जोधपुर के खसरा संख्या 806/1ग्राम बावड़ी में 5 एकड़ भूमि का आवंटन की मांग की है।

पटवारी मौका रिपोर्ट दिनांक 5.3.2019 के द्वारा ग्राम बावड़ी के खसरा नम्बर 806/1 रकबा 48.17 बीघा गै.मु. गोचर दर्ज है। उक्त भूमि जिला कलेक्टर जोधपुर के आदेश क्रमांक 4675 -4684 दिनांक 25.07.2019 के द्वारा प्राधिकरण के नाम हस्तांतरित कर दी गई है।

विधि शाखा की रिपोर्ट दिनांक 28.8.2019 के अनुसार कोई वाद लम्बित नही है। निदेशक आयोजना रिपोर्ट दिनांक 15.10.2019 के द्वारा उक्त भूमि का भू उपयोग मास्टर डवलपमेन्ट प्लान 2031 (ड्राफ्ट) अनुसार यू-3 में दर्शाया गया हैं। आपत्ति सुझाव विशलेषण में उक्त खसरा में विशेष पर कोई आपत्ति प्राप्त नही हैं। यू-3 डीसीआर मास्टर डवलपमेन्ट प्लान 2031 (ड्राफ्ट) अनुसार कॉलोज को 100 फीट व अधिक सड़क मार्गाधिकार पर अनुज्ञेय दर्शाया गया है।

अतः राजकीय महाविद्यालय बावडी को खसरा संख्या 806/1 ग्राम बावड़ी में रकबा 48.17 बीधा मे से 5 एकड़ भूमि आवंटन के संबंध में प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक में वास्ते निर्णयार्थ हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

राजकीय महाविद्यालय, बावडी के खसरा नम्बर 806/1 में 5 एकड भूमि आरक्षित दर पर आवंटन की सक्षम स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 17(स) :: मास्टर डवलपमेंट प्लान 2031 (प्रारूप) में संलग्न डी.सी.आर को मास्टर प्लान 2023 में भी लागू किये जाने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि कार्यालय में प्राप्त प्रकरणों में मास्टर प्लान 2023 के नगरीकरण योग्य क्षेत्र में मास्टर प्लान 2023 अनुसार एवम् मास्टर प्लान 2023 के नगरीयकरण योग्य के बाहर मास्टर डवलपमेंट प्लान 2031 (प्रारूप) अनुसार कार्यवाही की जा रही है। परन्तु मास्टर प्लान 2023 में आरक्षित भू-उपयोग में तथा मास्टर डवलपमेंट प्लान 2031 (प्रारूप) में आरक्षित सामान्तर भू-उपयोग में अलग-अलग मापदण्ड अपनाए जा रहे है। यथा मास्टर प्लान 2023 में आरक्षित आवासीय भू-उपयोग में केवल आवासीय प्रयोजनार्थ गतिविधिया अनुज्ञेय की जा रही है जबकि मास्टर डवलपमेंट प्लान 2031 (प्रारूप) में आरक्षित आवासीय भू-उपयोग में मास्टर प्लान पुस्तिका के साथ संलग्न डी.सी.आर अनुसार विभिन्न सडक की चौडाई अनुसार विभिन्न अन्य गतिविधियां भी अनुज्ञेय की जा रही है।

अतः दोनों मास्टर प्लानों में एकरूपता रखने हेतु मास्टर प्लान 2023 में भी मास्टर डवलपमेंट प्लान 2031 (प्रारूप) की डी.सी.आर अनुसार कार्यवाही किये जाने बाबत् मास्टर डवलपमेंट प्लान/जोनल डवलपमेंट प्लान पर विचार विमर्श हेतु गठित समिति की बैठक दिनांक 18.07.2019 में चर्चा की गई तथा उक्त बैठक के कार्यवाही विवरण दिनांक 27.08.2019 अनुसार उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में आगामी कार्यकारी समिति में समिति के समक्ष विचारार्थ/अनुमोदनार्थ रखे जाने का निर्णय लिया गया।

अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष अवलोकनार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

उक्त प्रकरणों के संबंध में निदेशक आयोजना को ड्राफ्ट मास्टर प्लान एक माह में अन्तिम कराने हेतु त्वरित कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया तथा डी.सी.आर. के संबंध में विद्यमान नियमों/निर्देशों/आदेशों के साथ प्रकरण आगामी बैठक में रखने हेतु निर्देशित किया गया।

प्रस्ताव संख्या 17(द) :: मास्टर डवलपमेंट प्लान 2031 (प्रारूप) में संलग्न समस्त डी.सी.आर में फार्म हाउस तथा वेयर हाउस (गोदाम) सम्मिलित करने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मास्टर डवलपमेंट प्लान 2031 (प्रारूप) की पुस्तिका के साथ आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक, स्पोटर्स सिटी आदि की डी.सी.आर संलग्न है तथा कुछ डी.सी.आर में फार्म हाउस व कुछ में वेयर हाउसिंग (गौदाम) को विभिन्न सडक मार्गाधिकारों पर अनुज्ञेय किया गया है। कार्यालय में उपरोक्त दोनों प्रयोजनार्थ अनेक प्रकरण प्राप्त हो रहे है परन्तु कुछ डी.सी.आर में फार्म हाउस तथा वेयर हाउसिंग (गौदाम) के सम्मिलित नही होने के कारण रूपान्तरण हेतु कार्यवाही किया जाना संभव नही हो पा रहा है। उल्लेखनीय है कि फार्म हाउस एक eco-friendly व low density का भू-उपयोग है तथा निर्माण योग्य क्षेत्रफल कुल भूमि के क्षेत्रफल का 10 प्रतिशत अथवा 500 वर्गमीटर जो भी कम हो अनुज्ञेय किया जाता है। अर्थात् अधिकतम निर्माण योग्य क्षेत्रफल 500 वर्गमीटर ही अनुज्ञेय किया जाता है तथा एकीकृत भवन विनियम 2017 में शेष क्षेत्रफल पर सघन वृक्षारोपण का प्रावधान किया गया है। साथ ही राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा एग्रो संबंधित गतिविधियों को बढावा हेतु विभिन्न नीतियां बनाई जा रही है, जो कि एक eco-friendly गतिविधि है। अतः उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में व मास्टर प्लान/जोनल डवलपमेंट प्लान हेतु गठित कमेटी में लिये गये निर्णय के कम में प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारर्थ/ निणयार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

उक्त प्रकरणों के संबंध में निदेशक आयोजना को ड्राफ्ट मास्टर प्लान एक माह में अन्तिम कराने हेतु त्वरित कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया तथा डी.सी.आर. के संबंध में विद्यमान नियमों/निर्देशों/आदेशों के साथ प्रकरण आगामी बैठक में रखने हेतु निर्देशित किया गया।

प्रस्ताव संख्या 17(य) :: मास्टर प्लान 2023 व मास्टर प्लान 2031 (प्रारूप) में प्रस्तावित भू-उपयोग में भिन्नता होने के कारण मास्टर प्लान 2031 (प्रारूप) पूर्ण रूप से लागू करने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मास्टर डवलपमेंट प्लान-2031 (प्रारूप) में प्रस्तावित भू-उपयोग में एवम् मास्टर प्लान 2023 के प्रस्तावित भू-उपयोग कुछ स्थान पर भिन्न-भिन्न है। साथ ही मास्टर प्लान 2023 के नगरीयकरण योग्य क्षेत्र व मास्टर डवलपमेंट प्लान 2031 (प्रारूप) के ओवरलेप क्षेत्र में भू-उपयोग कुछ स्थान पर भिन्न-भिन्न होने के कारण उक्त क्षेत्र में अवस्थित प्रकरणों का निस्तारण करने में कठिनाई आ रही है।

अतः मास्टर डवलपमेंट प्लान/जोनल डवलपमेंट प्लान पर विचार विमर्श हेतु गठित समिति की बैठक दिनांक 18.07.2019 में मास्टर डवलपमेंट प्लान-2031 (प्रारूप) के अनुसार कार्यवाही करने तथा मास्टर प्लान 2023 अनुसार कार्यालय द्वारा पूर्व में किये गये कमिटमेंन्टस् का समावेश मास्टर डवलपमेंट प्लान 2031 (प्रारूप) में किये जाने बाबत् कार्यकारी समिति में प्रस्ताव रखे जाने का निर्णय लिया गया जिसमें मास्टर डवलपमेंट प्लान 2031 (प्रारूप) के उपयोग बाबत् भू-रूपान्तरण हेतु भू-उपयोग परिवर्तन की आवश्यकता नही हो तथा मास्टर प्लान 2023 के अनुरूप भू-रूपान्तरण से मास्टर डवलपमेंट प्लान-2031 (प्रारूप) के प्रस्तावित उपयोग के विरूद्व कमिटमेन्टस की संख्या नहीं बढें। इसमें ओ.सी.एफ. खुले मैदान, पार्क इत्यादि मास्टर प्लान 2023 के अनुरूप यथावत रहेगें।

अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष अवलोकनार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

उक्त प्रकरणों के संबंध में निदेशक आयोजना को ड्राफ्ट मास्टर प्लान एक माह में अन्तिम कराने हेतु त्वरित कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया तथा डी.सी.आर. के संबंध में विद्यमान नियमों/निर्देशों/आदेशों के साथ प्रकरण आगामी बैठक में रखने हेतु निर्देशित किया गया।

(यह कार्यवाही विवरण संबंधित पत्रावली (पत्रावली संख्या बैठक शाखा/ 2018/ भाग-9/ कार्यकारी समिति की बैठक पत्रावली) के पैरा संख्या 24..../एन पर आयुक्त महोदय के अनुमोदन के उपरान्त जारी किया जा रहा है। उपरोक्त जारी किये जाने वाले कार्यवाही विवरण के संबंध में किसी भी सदस्य को यदि कोई आपत्ति हो तो वह कार्यवाही विवरण जारी होने के 7 दिवस में इस कार्यालय को अवगत करावें अन्यथा स्थिति में कार्यकारी समिति के निर्णय प्रभावी माने जावेंगे।

(ओ.पी. बुनकर)
सचिव

क्रमांक/बैठक/2019/1025 से 1044 दिनांक : 23 अक्टूबर, 2019

प्रतिलिपि वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

01. अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर
02. निजी सचिव (अध्यक्ष महोदय/आयुक्त महोदय), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
03. जिला कलक्टर महोदय, जोधपुर
04. प्रबन्ध निदेशक, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर
05. उपाध्यक्ष, राजस्थान स्टेट रियल एस्टेट डवलपमेंट काउन्सिल, (RAJREDCO) 307, पिंक टावर, नेहरू गार्डन के सामने, टोंक रोड, जयपुर
06. उपायुक्त-पूर्व/पश्चिम/मुख्यालय/यातायात, जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट, जोधपुर/पुलिस अधीक्षक-ग्रामीण, जोधपुर
07. आयुक्त (मुख्य कार्यकारी अधिकारी) नगर निगम, जोधपुर
08. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, जोधपुर
09. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, जोधपुर
10. प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड/क्षेत्रीय प्रबन्धक, रीको-जोधपुर/बोरानाड़ा
11. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर/ प्रबन्धक (याता.), राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम लिमिटेड, जोधपुर
12. उप निदेशक, पर्यटन, जोधपुर
13. निदेशक- अभियांत्रिकी/नियोजन/वित्त/विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
14. उपायुक्त-पूर्व/ पश्चिम/ उत्तर/ दक्षिण/ मुख्यालय/ उपसचिव/ भूमि अवाप्ति अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
15. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
16. अधीक्षण अभियन्ता-I/II, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
17. एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उप निदेशक) जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को आवश्यक कार्यवाही एवं वेबसाईट पर प्रदर्शन हेतु।
18. सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
19. ....

(ओ.पी. बुनकर)
सचिव

परिशिष्ट–1

दिनांक 18 अक्टूबर, 2019 को प्रातः 11.30 बजे श्री मेघराजसिंह रतनू, आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की अध्यक्षता में आयोजित कार्यकारी समिति की बैठक में उपस्थित अधिकारियों का विवरण

1. श्री एम.एल. नेहरा, अतिरिक्त कलक्टर–प्रथम, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
2. श्री ओ.पी. बुनकर, सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
3. श्री एम.एल. मीना, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर
4. श्री लाडुराम विश्नोई, निदेशक–अभियांत्रिकी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
5. श्री जगदीश कुमार, निदेशक–विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
6. श्री ओमप्रकाश सीरवी, निदेशक–वित्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
7. श्री आर.के. अत्रे, रीजनल मैनेजर, रीको, जोधपुर
8. श्री एम.एस. चारण, अधीक्षण अभियन्ता, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर
9. श्री आर.के. माथुर, अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर
10. श्री रामपाल, प्रबन्धक प्रशासन, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम लिमिटेड, जोधपुर
11. श्री अनुज अग्रवाल, निदेशक–आयोजना, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
12. श्री ओ.पी. विश्नोई, उपायुक्त–दक्षिण, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
13. श्री अनिल कुमार पुनिया, उपायुक्त–पूर्व, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
14. श्री श्रवण सिंह, उपायुक्त–पश्चिम, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
15. श्री विकास राजपुरोहित, उपायुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर